

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 58/2021

1. उमराव सिंह आयु 38 वर्ष पुत्र माईधन, जाति जाट, पेशा कृषि, निवासी गोवला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. माईधन आयु 65 वर्ष पुत्र स्व० लादुराम, जाति जाट, पेशा कृषि, निवासी गोवला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

---अपीलान्त

बनाम

1. जागीराम आयु 80 वर्ष पुत्र स्व० लादुराम
2. रोहिताश आयु 30 वर्ष पुत्र जागीराम
3. सत्यवीर आयु 42 वर्ष पुत्र जागीराम
समस्त जाति जाट, पेशा कृषि, निवासी गोवला, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

--- रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ०धारा 225 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार चिडावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू दिनांक 06.01.2021 बमुकदमा उनवानी उमराव बनाम जागीराम आदि प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 मु०न० 10/2017

उपस्थित

1. श्री जगदीशचन्द्र, श्री संदीप काजला, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विनोद गिल, एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट सं० 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोंडेन्ट सं० 4 की ओर से।
4. रेस्पोंडेन्ट्स सं० 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 20.07.2022

उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 06.01.2021 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र अ०धा० 96 जा०दी० के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र मि०अ० दफा 5 एवं प्रार्थना पत्र अ०धा० 96 जा०दी० पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि०अ० दफा 5 एवं प्रार्थना पत्र अ०धा० 96 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार न्यायालय तहसीलदार चिडावा में अपीलान्त उमराव ने रेस्पोंडेन्ट्स नं० 1 से 3 के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दर्ज किया कि जमीन ख०न० 241, ख०न० 242, ख०न० 242/672, ख०न० 242/673 वाके ग्राम गोवला में आने जाने व वाहन लाने ले जाने के लिए ख०न० 241 में अवरोध रेस्पोंडेन्ट नं० 1 से 3 ने पैदा कर दिया है जिसे हटवाया जावे। अपीलान्त के इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय तहसीलदार चिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 06.01.2021 से खारिज कर दिया। इस कारण


जिला कलक्टर झुंझुनू

अपीलान्टस की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि न्यायालय तहसीलदार चिडावा का निर्णय दिनांक 06.01.2021 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों व जबाब आवेदन पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य को अवलोकन व विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जमीन ख0न0 242/1 रकबा 1.10 हैक्टर, हाल ख0न0 242 रकबा 1.10 हैक्टर, ख0न0 242/3 रकबा 0.47 हैक्टर, हाल ख0न0 713/242 रकबा 0.47 हैक्टर, ख0न0 249/2 रकबा 0.35 हैक्टर हाल ख0न0 715/249 रकबा 0.35 हैक्टर, ख0न0 242/672/2 रकबा 0.21 हैक्टर, हाल ख0न0 758/242 रकबा 0.21 हैक्टर, ख0न0 251/2 रकबा 1.32 हैक्टर, हाल ख0न0 716/251 रकबा 1.32 हैक्टर वाके ग्राम गोवला है। इस जमीन की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी बहैसियत कर्ता अपीलान्ट नं0 2 माईधन के नाम दर्ज है। जमीन ख0न0 242/2 रकबा 1.09 हैक्टर, हाल ख0न0 712/242 रकबा 1.09 हैक्टर, ख0न0 242/4 रकबा 0.63 हैक्टर, हाल ख0न0 714/242 रकबा 0.63 हैक्टर, ख0न0 249/1 रकबा 0.18 हैक्टर, हाल ख0न0 249 रकबा 0.18 हैक्टर, ख0न0 251/1 रकबा 1.33 हैक्टर, हाल ख0न0 251 रकबा 1.33 हैक्टर, ख0न0 242/672/1 रकबा 0.21 हैक्टर, हाल ख0न0 242/672 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम गोवला है। इस जमीन की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट नं. 1 जागीराम बहैसियत कर्ता दर्ज है। जमीन ख0न0 240 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ, ख0न0 241 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी वाके ग्राम गोवला है। यह जमीन राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट नं. 2 व रेस्पोडेन्ट नं0 1 जागीराम बहिस्सा 1/2 बहैसियत कर्ता दर्ज है। अपीलान्ट नं0 2 माईधन व रेस्पोडेन्ट नं0 1 जागीराम व स्वर्गीय श्रीचन्द सगे माई थे व उक्त वर्णित जमीन व अन्य जमीन इस तीनों भाईयो की पैत्रिक सम्पति थी व तीनों भाईयो ने अनुबन्ध पत्र से जमीन का विभाजन कर तहसीलदार चिडावा के समक्ष पेश किया। तहसीलदार चिडावा ने अपने आदेश दिनांक 01.09.1998 से विभाजन को स्वीकृति देकर विभाजन कर दिया व श्रीचन्द के हिस्से में दुसरी जमीन ख0न0 53, ख0न0 223, ख0न0 230, ख0न0 231, ख0न0 232 कुल रकबा 3.61 हैक्टर आयी व उसके नाम व बाद में उनके वारीसान के नाम दर्ज हुई। उक्त विभाजन में कुआ ख0न0 240 व ख0न0 241 को अपीलान्ट नं0 2 माईधन व रेस्पोडेन्ट नं0 1 जागीराम ने संयुक्त खातेदारी में रखी क्योंकि जमीन ख0न0 241 में दोनो भाई मकानात बनाकर आबाद है व मवेशी रखते है व पैदावार के लिये मकान बना रखे है व ख0न0 240 से जमीन ख0न0 242 आदि सिंचित होती रही थी। इस प्रकार ख0न0 241 में व ख0न0 242 व अपीलान्ट की जमीन में आने जाने मवेशी लाने ले जाने का रास्ते की आवश्यकता का सुखाधिकार रहा है व इस सुखाधिकार में बाधा डालने का हक रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 को नहीं है। जमीन ख0न0 242 रकबा 1.10 हैक्टर अपीलान्ट नं0 2 की खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस जमीन के दक्षिण में रेस्पोडेन्ट जागीराम ने नजरी नक्शे में जमीन ख0न0 758/242 रकबा 0.21 हैक्टर दर्शित की है। यह जमीन अपीलान्ट नं0 2 की खातेदारी की दर्शित की गयी है। जमीन ख0न0 242/672/1 जिसके हाल ख0न0 भी 242/672 रकबा 0.21 हैक्टर को भी रेस्पोडेन्ट जागीराम ने अपनी खातेदारी की होना दर्ज की है। इस जमीन के दक्षिण में नजरी नक्शे में ख0न0 242/673 दिखाया गया है। लेकिन रेस्पोडेन्ट जागीराम ने इस जमीन के लिये यह दर्ज नहीं किया कि यह जमीन किन किन व्यक्तियों की खातेदारी की है। इस प्रकार रास्ता (सडक) के सटकर उतर की तरफ अपीलान्टस की अकेलों की खातेदारी की जमीन नहीं है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी और शामिल पत्रावली की गयी। इस रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्टस ने कोई आपत्ति नहीं की। रिपोर्ट पटवारी दिनांकित 25.09.2020 का भी न्यायिक रूप से अवलोकन नहीं किया गया। क्योंकि इस रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि रास्ते को बन्द कर दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया कि सडक के बाद अपीलान्टस की खातेदारी की जमीन में प्रवेश करने के लिये किसकी जमीन आती है। रेस्पोडेन्ट ने जबाब में कथन किया कि पक्षकारान में राजीनामा हुआ है। इस बाबत लिखावट दिनांक 15.06.1999 पेश की गयी। जिस पर रेस्पोडेन्ट जागीराम के भी हस्ताक्षर है। राजीनाम के कथन रेस्पोडेन्टस ने जबाब में स्वीकार किया है जिसमें प्रार्थना पत्र में अंकित रास्ता होना माना गया है। इस प्रकार जमीन ख0न0 238 में से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस का रास्ता जमीन ख0न0 242 रकबा 1.10 हैक्टर के लिये रहा है जो नक्शे में दर्ज है। नक्शे में दर्ज रास्ते को बन्द करने का अधिकार रेस्पोडेन्टस को नहीं है। इस प्रकार योग्य अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचन के निर्णय पारित किया है। कोविड-19 की महामारी के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी व लोकडाउन भी था व अभिभाषक भी


जिला कलेक्टर झुन्झुनू

स्थित नहीं हो रहे थे। दूरभाष पर पता लगाया तो अभिभाषक ने बताया कि पेशी दिनांक 07.12.2020 है। दिनांक 07.12.2020 को मोबाईल पर अभिभाषक ने बताया कि पेशी दिनांक 28.01.2021 दी गई है लेकिन तहसीलदार चिडावा ने दिनांक "28" की जगह दिनांक "06" दर्ज कर दिनांक 06.01.2021 को मनमाने तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये बिना सुने व रिपोर्ट पर आपति पेश करने का मौका दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट नं० 2 के नाम उक्त अनुसार कृषि भूमि की खातेदारी का अंकन कर्ता की हैसियत से पैत्रिक सम्पति होने के कारण है। पैत्रिक सम्पति होने से अपीलान्ट नं० 2 के पुत्र का भी हक हिस्सा जन्म से है। क्योंकि कृषि भूमि पूर्वजों से मिली हुई है व अपीलान्ट नं० 1 के भी सन्तान हैं अपीलान्ट नं० 2 आदेश से प्रभावित होता है। इस कारण प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्ट नं० 2 को भी अपील करने का अधिकार है। जमीन ख०न० 241 अपीलान्ट नं० 2 व रेस्पोजेन्ट नं० 1 की सह खातेदारी में दर्ज है व जमीन ख०न० 242 अपीलान्ट नं० 2 माईधन की खातेदारी में दर्ज है व जमीन ख०न० 242 अपीलान्ट नं० 2 माईधन की खातेदारी में दर्ज है। रास्ते का सुखाधिकार होने से अवरोध न हटाने के कारण अपीलान्ट नं० 2 प्रभावित होता है। इस कारण अपील करने का हक है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 06.01.2021 को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अ०धारा 251 राजस्थान कायूतकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अवरोध किये गये रास्ते का अवरोध हटवाया जावे व रास्ते की बाधा हटवाने के लिये पुलिस सहायता व खर्चा रेस्पोजेन्ट नं० 1 से 3 से वसूल किया जावे अथवा सुनकर निर्णित करने के लिये पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं। रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2 की अनुपस्थिति में एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों व जबाब आवेदन पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य को अवलोकन व विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जमीन ख०न० 242/1 रकबा 1.10 हैक्टर, हाल ख०न० 242 रकबा 1.10 हैक्टर, ख०न० 242/3 रकबा 0.47 हैक्टर, हाल ख०न० 713/242 रकबा 0.47 हैक्टर, ख०न० 249/2 रकबा 0.35 हैक्टर हाल ख०न० 715/249 रकबा 0.35 हैक्टर, ख०न० 242/672/2 रकबा 0.21 हैक्टर, हाल ख०न० 758/242 रकबा 0.21 हैक्टर, ख०न० 251/2 रकबा 1.32 हैक्टर, हाल ख०न० 716/251 रकबा 1.32 हैक्टर वाके ग्राम गोवला है। इस जमीन की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी बहैसियत कर्ता अपीलान्ट नं० 2 माईधन के नाम दर्ज है। जमीन ख०न० 242/2 रकबा 1.09 हैक्टर, हाल ख०न० 712/242 रकबा 1.09 हैक्टर, ख०न० 242/4 रकबा 0.63 हैक्टर, हाल ख०न० 714/242 रकबा 0.63 हैक्टर, ख०न० 249/1 रकबा 0.18 हैक्टर, हाल ख०न० 249 रकबा 0.18 हैक्टर, ख०न० 251/1 रकबा 1.33 हैक्टर, हाल ख०न० 251 रकबा 1.33 हैक्टर, ख०न० 242/672/1 रकबा 0.21 हैक्टर, हाल ख०न० 242/672 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम गोवला है। इस जमीन की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रेस्पोजेन्ट नं० 1 जागीराम बहैसियत कर्ता दर्ज है। जमीन ख०न० 240 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ, ख०न० 241 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी वाके ग्राम गोवला है। यह जमीन राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट नं० 2 व रेस्पोजेन्ट नं० 1 जागीराम बहिस्सा 1/2 बहैसियत कर्ता दर्ज है। अपीलान्ट नं० 2 माईधन व रेस्पोजेन्ट नं० 1 जागीराम व स्वर्गीय श्रीचन्द सगे भाई थे व उक्त वर्णित जमीन व अन्य जमीन इस तीनों भाईयो की पैत्रिक सम्पति थी व तीनों भाईयो ने अनुबन्ध पत्र से जमीन का विभाजन कर तहसीलदार चिडावा के समक्ष पेश किया। तहसीलदार चिडावा ने अपने आदेश दिनांक 01.09.1998 से विभाजन को स्वीकृति देकर विभाजन कर दिया व श्रीचन्द के हिस्से में दुसरी जमीन ख०न० 53, ख०न० 223, ख०न० 230, ख०न० 231, ख०न० 232 कुल रकबा 3.61 हैक्टर आयी व उसके नाम व बाद में उनके वारीसान के नाम दर्ज हुई। उक्त विभाजन में कुआ ख०न० 240 व ख०न० 241 को अपीलान्ट नं० 2 माईधन व रेस्पोजेन्ट नं० 1 जागीराम ने संयुक्त खातेदारी में रखी क्योंकि जमीन ख०न०


जिला कलेक्टर झुंझुनू

दोनों भाई मकानात बनाकर आबाद है व मवेशी रखते है व पैदावार के लिये मकान बना रखे है व ख0न0 240 से जमीन ख0न0 242 आदि सिंचित होती रही थी। इस प्रकार ख0न0 241 में व ख0न0 242 व अपीलान्ट की जमीन में आने जाने मवेशी लाने ले जाने का रास्ते की आवश्यकता का सुखाधिकार रहा है व सुखाधिकार में बाधा डालने का हक रेस्पोजेन्ट नं0 1 से 3 को नहीं है। जमीन ख0न0 242 रकबा 1.10 हैक्टर अपीलान्ट नं0 2 की खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस जमीन के दक्षिण में रेस्पोजेन्ट जागीराम ने नजरी नक्शे में जमीन ख0न0 758/242 रकबा 0.21 हैक्टर दर्शित की है। यह जमीन अपीलान्ट नं0 2 की खातेदारी की दर्शित की गयी है। जमीन ख0न0 242/672/1 जिसके हाल ख0न0 भी 242/672 रकबा 0.21 हैक्टर को भी रेस्पोजेन्ट जागीराम ने अपनी खातेदारी की होना दर्ज की है। इस जमीन के दक्षिण में नजरी नक्शे में ख0न0 242/673 दिखाया गया है। लेकिन रेस्पोजेन्ट जागीराम ने इस जमीन के लिये यह दर्ज नहीं किया कि यह जमीन किन किन व्यक्तियों की खातेदारी की है। इस प्रकार रास्ता (सडक) के सटकर उतर की तरफ अपीलान्टस की अकेलों की खातेदारी की जमीन नहीं है। रिपोर्ट पटवारी दिनांकित 25.09.2020 का भी न्यायिक रूप से अवलोकन नहीं किया गया। क्योंकि इस रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि रास्ते को बन्द कर दिया गया है। रेस्पोजेन्ट ने जबाब में कथन किया कि सरकारान में राजीनामा हुआ है। इस बाबत लिखावट दिनांक 15.06.1999 पेश की गयी। जिस पर रेस्पोजेन्ट जागीराम के भी हस्ताक्षर है। राजीनामों का कथन रेस्पोजेन्ट्स ने जवाब में स्वीकार किया है जिसमें प्रार्थना पत्र में अंकित रास्ता होना माना गया है। इस प्रकार जमीन ख0न0 238 में से अपीलान्टस व रेस्पोजेन्टस का रास्ता जमीन ख0न0 242 रकबा 1.10 हैक्टर के लिये रहा है जो नक्शे में दर्ज है। नक्शे में दर्ज रास्ते को बन्द करने का अधिकार रेस्पोजेन्टस को नहीं है। रास्ते का सुखाधिकार होने से अवरोध न हटाने के कारण अपीलान्ट नं0 2 प्रभावित होता है। इस कारण अपील करने का हक है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 06.01.2021 को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अधारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अवरोध किये गये रास्ते का अवरोध हटवाया जावे व रास्ते की बाधा हटवाने के लिये पुलिस सहायता व खर्चा रेस्पोजेन्ट नं0 1 से 3 से वसूल किया जावे अथवा सुनकर निर्णित करने के लिये पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट सं0 3 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 251 में कटानशुदा रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकता है। यदि कटानशुदा रास्ते पर अतिक्रमण है तो धारा 91 की कार्यवाही की जाती है। अपीलान्ट के वैकल्पिक रास्ता भी लगता है जिसकी पुष्टि तहसीलदार चिडावा पत्र क्रमांक 626 दिनांक 11.04.2022 से प्राप्त रिपोर्ट से होती है। अपीलान्ट रास्ते के लिए दावा नहीं कर सकता है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 06.01.2021 विधिनुसार है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से निम्न बातें उभरकर सामने आई है कि विवादित भूमि के मौके पर रास्ता कटानशुदा है या नहीं। अपीलान्ट के पास विवादित भूमि के अलावा रास्ते के रूप में दूसरा विकल्प है या नहीं। विवादित भूमि का मामला 251 का बनता है या 251 क का बनता है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट व रेस्पोजेन्टस के बीच हुई लिखापट्टी का क्या औचित्य है। रिकार्ड व मौके की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि तहसीलदार चिडावा विवादित भूमि के मौके पर रास्ता कटानशुदा है या नहीं, अपीलान्ट के पास


जिला कलक्टर झुन्झुनू

